दोषी सास-ससुर को आठ वर्ष की कैद

अदालत से

जासं, श्रावस्ती : भिनगा क्षेत्र के रमखंडवा गांव में बहू को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में दोषी सास-ससुर को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) ने आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नौव्वा कोड़र निवासी लाल बहादुर यादव ने अपने बहन की शादी रमखंडवा निवासी तुलसीराम यादव से किया था। तुलसीराम व उसके भाई शेषराम दोनों पंजाब में नौकरी करते थे। 31 जनवरी 2010 को लालबहादुर अपनी बहन को विदा कराने के लिए गए थे। उसके ससुर गोकरन यादव व सास सीतापति मायके भेजने से मना कर दिया। बहन के कोई बच्चा न होने से सास-ससुर उसे मारते-पीटते थे। मायके न जा पाने से बहन दुखी हो गई थी। भाई उसे समझा-बुझाकर घर लौट आया। शाम को सूचना मिली कि सास-ससुर की प्रताड़ना तंग आकर बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। भिनगा कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) करुणा सिंह की अदालत पर हुआ।